उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

संख्या-03/2015/3204/86-2014-278/2011

लखनऊ, दिनांक – 22 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतिसवॉं संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षित नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतिसवॉं संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।	
नियम-3 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-3 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	3-खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी- (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियायें पर न पडेगा। स्पष्टीकरण:-ईट बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियायें के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक की खनन स्थल की गहरायी 02 मीटर से अधिक न हो। (2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।	**3-खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी-** (1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियायें पर न पडेगा। स्पष्टीकरण:- इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियायें के अन्तर्गत नहीं आयेगी। प्रतिबन्ध यह कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी (2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।
नियम 9 का संशोधन	3. उक्त् नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारी :- (1) जहॉं दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि	**9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारी :-** (1) जहॉं क्षेत्र/क्षेत्रों को खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिये आवेदन किया हो, वहाँ उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना-पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकारी होगा;	उनकी उपलब्धता नियम 72 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा घोषित की गयी है, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ विचार किया जायेगा और ऐसे प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी के पक्ष में, जो उनके द्वारा उचित समझा जाये, खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थना-पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहाँ राज्य सरकार उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।	
(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :- (क) प्रार्थी को खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव; (ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन; (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता; (घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और (ड़) नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टे के सम्बन्ध में, यदि अन्य बातें समान हों, तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों; जैसे (मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, माँझी, बाथम, धीवर, थेमर, चाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, कैवर्त, खुलवट, तियार गौडिया, गोडिया और कश्यप) और नागरिकों की ऐसी अन्य वर्गों के हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो और जिन्होनें सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा	(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :- (क) प्रार्थी को खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव; (ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन; (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता; (घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और (ड) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें,
इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी से प्रपत्र एम0एम0-14 के प्रारूप पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो कि अमुक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह पारम्परिक रूप से अपने जीवकोपार्जन हेतु बालू/मौरग के उत्खनन कार्य में लगे है, और उसी जिले के निवासी हैं, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए पट्टे का आवेदन किया गया है स्थित हो, अधिमान दिया जायेगा।	

http://shasanadesh.up.nic.in

(च) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें,	
(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए राज्य सरकार किन्हीं विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हों, अधिमान में किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हों, पट्टा दे सकती है।	(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसें राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिये पट्टा ऐसे स्वंय सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिलें के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा;
(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसें राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिये पट्टा ऐसे स्वंय सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिलें के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा; प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (4) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हो एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।	प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हो एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

नये नियम 9-क का बढ़ाया जाना

4. उक्त नियमावली में नियम-9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली –जुली अवस्था में हो, के खनन पट्टा के स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

9-क नियम-9 में किसी बात के होते हुए, बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी, जो मिली-जुली अवस्था में नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाते है, के खनन पट्टे एतद्पश्चात् दी गयी विधि से ही स्वीकृत किये जायेंगे :-

(क) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र एवं उसकी उपलब्धता नियम-72 के प्राविधानों के अनुसार घोषित की जायेगी, जिसमें क्षेत्र का स्थान, वार्षिक पट्टा धनराशि, जैसा कि नियम-14 मे प्राविधानित है तथा 7 कार्यकारी दिवसों की अवधि, जिसमें इस प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेगे, साथ ही प्रार्थना पत्रों को खोले जाने का समय एवं स्थान का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट अवधि में जैसा कि घोषणा में दी गयी है, इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति मुहरबन्द लिफाफें में, जिसमे क्षेत्र का नाम, और आवेदक का नाम, प्रथम मुहरबन्ध लिफाफें के मुख पर उल्लिखित कर, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। मुहरबन्ध लिफाफें में, दो अन्य मुहरबन्ध लिफाफें आवेदक द्वारा रखे जायेगें, जिसमें क्षेत्र का नाम एवं प्रार्थी का नाम, लिफाफों के मुख पर लिखा जायेंगा और दोनो लिफाफों का शीर्षक क्रमश: 'क' एवं 'ख' होगा।

(ग) शीर्षक 'क' वाले प्रथम मुहरबन्ध लिफाफें में प्रार्थी निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा; अर्थात:-

(एक) प्रपत्र एम0एम0-1 पर आवेदन पत्र।

(दो) रूपये 5000/- का शुल्क एवं नियम-17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये रूपये 10,000/- की जमा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(तीन) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहॉ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) ऐसी धनराशि का समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र, जो आवेदित क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि से आधे से कम न हों।

(पॉच) नियम-6 में उल्लिखित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(छः) इस सम्बन्ध मे आवेदक की स्वत: घोषणा की :-

(क) पूर्व में आवेदक अवैध खनन गतिविधियों में न तो संलिप्त रहा है और न ही वह अवैध खनन के अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है,

(ख) राजकीय विभागों द्वारा अवेदक के विरूद्व कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी है,

(ग) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है,

(घ) आवेदक काली सूची में नहीं है,

(घ) दूसरे मुहरबन्द लिफाफें शीर्षक 'ख' में आवेदक दो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(एक) खनन पटटा प्राप्त करने हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा कि वह वापसा न किये जाने एवं समायोजित न किये जाने वाली धनराशि रूपये..... (जो स्वामित्व एवं अनिवार्य भाटक के अतिरिक्त होगी) का प्रस्ताव दे रहा है।

(दो) जिलाधिकारी के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट जो आवेदक द्वारा उपखण्ड (एक) में उल्लिखित प्रस्तावित धनराशि से एक चौथाई धनराशि से कम नहीं होगी। अवशेष धनराशि, जो उपखण्ड (एक)में दिये गये प्रस्ताव मे उल्लिखित है, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व, भूगतान करनी होगी।

(ड़) विनिर्दिष्ट अवधि के मध्य प्राप्त आवेदन प्रत्रों एंव प्रस्तावों के लिये एक समिति जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे, गठित की जायेगी, अर्थात् :-

(एक) जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) प्रभागीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(तीन) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(चार) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
(पॉच) जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य–सचिव

(च) इस प्रयोजन हेतु नियत दिनॉक एवं समय पर समिति प्रथमत:विवरण-तालिका तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का विस्तार, आवेदन पत्र प्राप्त करने विनिर्दिष्ट अवधि, प्राप्त आवेदन पत्र और आवेदन पत्रों के विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे। समिति द्वारा यह भी अवधारित किया जायेगा कि ऐसे आवेदक, जो अर्ह नहीं है और जो पात्र नहीं पाये गये हैं, उनके नाम के आगे एक विशेष टिप्पणी, विवरण-तालिका में उल्लिखित की जायेगी तथा उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(छ) समिति, तदोपरान्त उन आवेदकों, जो खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु अर्ह पाये गये हैं, के द्वारा शीर्षक 'ख' का मुहरबंद लिफाफा खोलेगी, उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को उनके नाम के आगे उल्लिखित करेगी। समिति आवेदक द्वारा संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट के विवरण-बैंक का नाम, संख्या, बैंक ड्राफ्ट की धनराशि का उल्लेख करेगी। ऐसे आवेदक, जिन्होंने आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं किया है, वे विचारण क्षेत्र से बाहर होंगे।

(ज) विवरण-तालिका, जैसी वर्णित है, तैयार हो जाने के उपरान्त, समिति अपनी लिपिबद्ध आख्या खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु ऐसे आवेदक के पक्ष में जो अर्ह हो और जिसने खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च एवं संतोष जनक धनराशि का प्रस्ताव दिया हो, संस्तुति सहित प्रस्तुत करेंगी।

(झ) समिति द्वारा प्रस्तुत लिपिबद्ध आख्या के प्रकाश में, जिलाधिकारी राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करेंगे तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे आवेदक के पक्ष में औपचारिक स्वीकृति आदेश निर्गत करेंगा।

(व) ऐसे आवेदक, जिसके पक्ष में खनन पट्टे लिये जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति नही की गयी हैं उनके बैक ड्राफ्ट तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।

(ट) इस नियमावली के अन्य प्राविधान, इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें।

नियम 10 का 5. उक्त नियमावली में नीचें स्तम्भ—1 में दिये गये नियम-10 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख

http://shasanadesh.up.nic.in

संशोधन दिया जायेंगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :-	**10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :-**
(1) खनन पट्टे की स्वीकृत हेतु न्यूनतम क्षेत्र 5 हेक्टेयर होगा।	(1) बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र साधारणतया 5 हेक्टेयर एवं चटटानों के रूप में पाये जाने वाले ऐसे खनिजो अपनी उत्तपत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो तथा अन्य रूप खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यून्तम क्षेत्र 1 हेक्टेयर होगा।
स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्तानुसार विस्तार वाले क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह उपनियम लागू नहीं होगा।
(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संहत, मिला हुआ अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :	(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संहत, मिला हुआ न हो अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :
प्रतिबन्ध यह है कि छोटे निक्षेप के सम्बन्ध में, जो विखण्डित ढेरों में कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।	प्रतिबन्ध यह है कि छोटे निक्षेप के सम्बन्ध में जो विखण्डित ढेरों में कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।
(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के सम्बन्ध में सिवाय बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :	(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के सम्बन्ध में सिवाय बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :
प्रतिबन्ध यह है कि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में पॉच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा :	प्रतिबन्ध यह है कि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में पॉच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा :
अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या

http://shasanadesh.up.nic.in

एक से अधिक पट्टे जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।	एक से अधिक पट्टे जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करें जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।	**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करें जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

नियम 21 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में नियम 21 में स्तम्भ—1 में दिये गये उपनियम-(1-क) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेंगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1-क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी ईट भट्टा मालिकों को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।	(1-क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी सम्बन्धित ईट भट्टा मालिकों अथवा साधारण मृदा या साधारण मिट्टी के उपयोगकर्ता को इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

नियम 52-क का बढ़ाया जाना

7. उक्त नियमावली में नियम 52 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया

52-क(1) नियम 72 मे किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर उसकी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू और मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0 2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियाँ, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जॉच करा सकता है :-

(क) क्या बालू और मौरम आवेदित का नाम आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए है।

(ख) क्या आवेदन/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है;

(ग) क्या बालू और मौरम के जमाव के कारण आवेदक/आवेदक आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहे हैं।

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत वर्ष में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ड) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र के आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है।

(3) उपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसा कि अभिप्रेत हो की बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकते है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा सें,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव।

(1) उत्तर प्रदेश उप खनिज(परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या-1575-एम-18-बी0एम-97-58 दिनाक 26 अगस्त,1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनाक 14 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित की गई ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-331-एम/18-एफ0एम0-331-66, दिनॉक 16 नवम्बर,1968 कि साथ जारी किया गया था।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या-1181-एम/18-एफ0एम0-21-67, दिनॉक 23 नवम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या-3388-आई0एम0/18-एफ0-15-एम0एम0-66, दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या-2746-एम/18-12-(14)-72, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या-4669/18-12-57/75, दिनांक 14 सितम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या-1518/18-12-200-77, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या-3157/18-12-57-75 सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 एम0एम0(7)-1978, दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या-3186/18-12-सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-6-77-95-77, दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या-8010/18-12-332-79-यू0पी0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0(9)-1982, दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 01 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(11) दसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-486/18-12-85 यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-196 ए0एम0(10)-1982, दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5379/18-12-200-77-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(11)-1984, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-81/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(12)-1985, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(14) तेरहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4670/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(13)1985, दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(15) चौदहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6689/18-12-206-85, दिनांक 12अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(16) पन्दहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4896/18-12-89-200-77, दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(17) सोलहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2931/18-12-90-3(16)-90, दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) सत्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5233/18-12-90-10-90, दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अटठारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1862/18-12-93-200-77, दिनांक 19 जुलाई, 1930 के साथ जारी किया गया और 14अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(20) उन्नीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2855/18-12-93-200-77, दिनांक 26 सितम्बर एवं 25 नवम्बर 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(21) बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-3871/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(22) इक्कीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5471/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 2 फरवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(23) बाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4520/18-11-96-200-77, दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24) तेइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(25) चैबीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1615/77-5-2001-200/77, दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(27) छब्बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-16661/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(28) सत्ताइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5666/77-5-2002-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(29) अटठाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6714/77-5-2004-200-77, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्नतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-476/77-5-2007-236-2005, दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(31) तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-530/86-2009-200/ टीसी।।, दिनांक 02 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और 02 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

http://shasanadesh.up.nic.in

(32) इक्तीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-336/86-2010-141/07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(33) बतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।

(35) चौतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2974/86-2012-200/77 टी0सी0-।।, दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैतीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-2216/86-2012-235-2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ हैं।

(37) छत्तीसवॉं संशोधन अधिसूचना संख्या-1361/86-2013-113/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ हैं।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in